न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर.

पुनरीक्षण प्रकरण क्र० R/86-II/2006

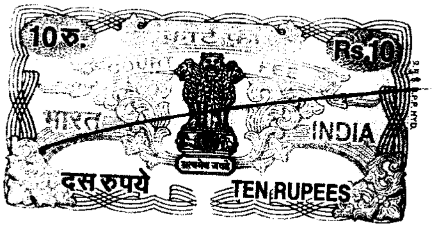

1.- राम प्रताप नामदेव
निवासी: ओरछा, तह० निवाड़ी
जिला: टीकमगढ़ (म०प्र०)

2.- रवीन्द्र मोहन नामदेव
निवासी: ओरछा, तह० निवाड़ी
जिला: टीकमगढ़ (म०प्र०)

--पुनरीक्षणकर्तागण.

<u>विरुद्ध</u>

1.- नाथूराम तनय हल्ले काछी
निवासी: ओरछा, तह० निवाड़ी
जिला: टीकमगढ़ (म०प्र०)

2.- म०प्र० शासन --- प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

<u>अंतिम</u> अगली सुनवाई दिनांक 06/08/2014

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 2433--पीबीआर / 2014 जिला टीकमगढ़

6--8--2014

आवेदक रवीन्द्र मोहन स्वयं उपस्थित । उनके द्वारा श्री अशोक शिवहरे, सदस्य के न्यायालय में प्रचलित निगरानी प्रकरण कमांक 86--दो / 2006 अन्य न्यायालय म स्थानातरित करने का अनुरोध इस तर्क के साथ किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा कहा जा रहा है कि उसके पक्ष में ही आदेश पारित होगा । इस संबंध में 1995 R.N. 4 पंचवटी सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित इंदौर विरूद्ध ग्रीन पार्क सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित इंदौर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है .–

"धारा 29 (1)–व्याप्ति–एक सदस्य से अन्य सदस्य को मामला अंतरण हेतु अध्यक्ष को आवेदन–न्यायिक शक्ति के विषय में अध्यक्ष और सदस्यगण समान पद श्रेणी में हैं–धारा के उपबंध केवल एक राजस्व अधिकारी से अन्य राजस्व अधिकारी को मामले अंतरण करने के विषय में लागू होते हैं – अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य से अन्य सदस्य को मामला अंतरण करने हेतु ऐसी शक्ति प्रयुक्त नहीं की जा सकती ।"

"धारा 9 तथा 41– राजस्व मंडल की अधिकारिता के नियम--नि.2-- अध्यक्ष की अधिकारिता –अध्यक्ष और सदस्यगण न्यायिक शक्ति में समान पद श्रेणी में हैं –स्वयं अपने तथा सदस्यगण के बीच मामलों के कार्य वितरण का आबंटन किया जा सकता है-- अध्यक्ष को एक सदस्य से दूसरे सदस्य का मामला अतरण करने की अधिकारिता नहीं है ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आवेदक का प्रकरण स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष